रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.02.2024 को पेश हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज॰)

23/2/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/3/24 को पेश हो।

21/3/24 वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्री [illegible] ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 1 व 4 की तामील [illegible] होना मानी जाती है [illegible] तामील [illegible] अत: एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है [illegible] पत्रावली दिनांक 16/5/24 को पेश हो।

16/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्थ होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 30/5/24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:56:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

30-5/6 पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं. 2 व 3 ... पेश न कर बहस की। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराव करते हुए कथन किया कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी की जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम स्यालोदड़ा पटवार हल्का स्यालोदड़ा तहसील पाटन भूमि खसरा नं 1445/272 रकबा 0.3170 हैक्ट0, खसरा नम्बर 1442/273 रकबा 0.0250 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान की उपस्थित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

प्रा0 पत्र 33/2024
निर्णय दिनांक 13.06.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम स्यालोदड़ा पटवार हल्का स्यालोदड़ा तहसील पाटन भूमि खसरा नं 1445/272 रकबा 0.3170 हैक्ट0, खसरा नम्बर 1442/273 रकबा 0.0250 हैक्ट0 की प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनितिशयल्स जज	नंबर व तारीख ... जो इस हुक्म ... तामील में जारी ...
सभी पक्षकारो की उपस्थिति मे पुन: सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी की जावे	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:56:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner